न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी--शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

पीठासीन अधिकारी – श्री संजीव कुमार, आर ए ए

राजस्व वाद सं०– – 26/2025

उनवान

1. सुरेन्द्र सिह पुत्र कानाराम उम्र 54 वर्ष
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र कानाराम उम्र 52 वर्ष
3. राजेन्द्र सिह पुत्र कानाराम उम्र 49 वर्ष
4. रामलाल पुत्र कानाराम उम्र 38 वर्ष
5. रामकुमार पुत्र नाथूराम उम्र 68 वर्ष
6. सुरजमल पुत्र भैरूराम उम्र 69 वर्ष
7. सत्यनारायण सिंह पुत्र कजोड़मल उम्र 54 वर्ष
8. राज नारायण सिंह पुत्र कजोड़मल उग्र 52 वर्ष
9. शिव नारायण सिंह पुत्र कजोड़मल उम्र 50 वर्ष
10. समस्त जाति जाट निवासी ढ़ाणी देवा जी वाली, वार्ड नम्बर 01 शाहपुरा नगरपालिका, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

– वादीगण

बनाम

1. नाथा पुत्र देबू उम्र वयस्क जाति ग्रहमण निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
2. उमराव पुत्र कल्याण सहाय उम्र वयस्क जाति गुर्जर निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
3. मन्ना लाल पुत्र नाथू उम्र वयस्क जाति गुर्जर निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
4. रामकिशोर पुत्र नाथू उम्र वयस्क जाति गुर्जर निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
5. चतुर्भूज हरला उम्र वयस्क जाति दरोगा निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
6. कालू राम पुत्र सीताराम उम्र वयस्क जाति दरोगा निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
7. शंकर लाल पुत्र सीताराम उम्र वयस्क जाति दरोगा निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
9. उप पंजीयक महोदय शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
10. पटवारी, पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, रिकॉर्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक :- 11/6/25

दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की कब्जे काश्त शुदा पैत्रिक कृषि भुमियाँ जिसके पुराने खसरा नम्बर 1593, 1594, 1597, 1599, 1603, 1606, 1607, 1608 1612, 1613, 1614, 1615 जिसके वर्तमान नये खसरा नम्बर 3200 रकबा 0.3700 हैक्टर खसरा नम्बर 3211 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 3212 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 3213 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5300 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3187 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 3188 रकबा 0. 0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3193 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3197 रकबा 0. 1800 हैक्टर खसरा नम्बर 3201 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 0. 5300 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3216 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3217 रकबा 10400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9900 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3169 रकबा 1 5400 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.5400 हैक्टर ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा– ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में अवस्थित है वादीगण की उक्त भुमियों की गलत रुप से खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 07 के नाम से दर्ज हो गई। जो वादीगण के पैत्रिक अधिकार आधिपत्य व कब्जाशुदा भुमियो है जिस पर वादीगण भुमियो पर अपने पुर्वजो के समय से ही काबिज काश्तकार रहकर निरन्तर निर्वाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है जिसका वर्तमान में वादीगण ने आपस में बाहमी बटवारा कर अपने अपने हक हिस्से को अलग अलग बाट कर अपने अपने हक हिस्से को अलग अलग कर सींव नींव कायम कर रखी है। जिसमे वादीगण संख्या 1 ता 4 का सयुक्त रुप से हिस्सा 1/4 वादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4 वादी संख्या 6 का हिस्स 1/4 वादी सख्या 7 ता 9 का सयुक्त रुप से हिस्सा 1/4 है जो अपने उक्त हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भुमियो पर वादीगण का जागिरदारी रिज्यूम के पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा निरन्तर व निर्वाध रुप से शान्तिपुर्वक तरिके से अपने पुर्वजो के समय से काबिज काश्तकार रहकर मौके पर काबिज है। वादीगण का कब्जा खुला व निर्बाध है तथा मुल खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को प्रारम्भ से ही जानकारी है। जिसको

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

प्रतिवादीगण आज दिन तक अपने नाम दर्ज करवाने के लिये गलत खातेदारी की आड में मौके से बेदखल करने की कुचेष्ठा नही की गई है और ना ही मौके से अपने नाम खातेदारी दर्ज होने के आधार पर किसी सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्त करने बाबत कोई वाद/आवेदन पेश नही किया है। यह कि उक्त भुमियों पर वादीगण अपने पुर्वजो के समय से रियासत काल से काबिज काश्तकार चले आ रहे है जिसका अकन सवत 2012 से 2033 तक की गिरदावरी रिकोर्ड में काश्तकार के कॉलम में वादीगण के पुर्वजो का नाम अंकित चला आ रहा है। लेकिन वादीगण के पुर्वजो के भोलपन व अशिक्षा का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण के पुर्वज राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादीगण की उक्त भुमियो की खातदारी राजस्व रिकोर्ड मे अपने नाम दर्ज करवा ली जो प्रतिवादीगण के पुर्वजो की मृत्यु के बाद जरिये विरासत नामान्तरण के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई लेकिन उक्त गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण को आज तक कभी भी मालिकाना काबिजाना अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है तथा न ही मालिकाना अधिकार प्रतिवादीगण के पूर्वजों को प्राप्त हुआ है। यह है कि वाद वर्णित आराजियात पर बजमाना जागिरदारी के समय से ही वादीगण के पुर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व उक्त भुमिया रियासत काल से ही वादीगण के पुर्वजों के कब्जे काश्त की रही है जिस पर वादीगण के पुर्वजों का रियासत काल से कब्जा चला आ रहा है जो वर्तमान में वादीगण ने आपस में बाहमी बटवारा कर अपने अपने हक हिस्से को उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है व काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा वहीं पर अपने परिवार सहित आवास निवास कर रहे है। उक्त भुमि पुर्व में भी वादीगण के पुर्वजो के अधिकार आधिपत्य व कब्जे काश्त में भी जिस वादीगण के पुर्वज शुरू से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व वर्तमान में वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसका सम्पुर्ण अकन संवत 2012 से लेकर सवत 2033 की गिरदावरी में अकन किया हुआ है। यह है कि वाद वर्णित भुमियों पर वादीगण का कब्जा अपने पुर्वजो के समय से चला आ रहा है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 के पुर्वज के नाम खातेदारी पर रियासतकाल के समय से ही वादीगण के पुर्वजो का कब्जा काश्त रहा है जिसका तत्कालिन समय की खसरा गिरदावरी में भी अंकन किया गया है सवत 2012 से सवत 2033 तक की गिरदावरी में उक्त भुमियों पर कब्जा काश्त वादीगण के पुर्वजों का नाम अकित है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 के नाम गलत रूप से दर्ज खातेदारी हक हिस्सा वादीगण का पैत्रिक होने, व शुरू से लेकर आज तक लगातार वादीगण का ही कब्जा काश्त होने से उक्त कब्जा काश्त संवत 2012 से संवत 2033 की गिरदावरी से प्रमाणित होने से वादीगण अपने हक हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के लिए उक्त कृषि भुमि की खातेदारी की उदघोषणा करवाने एवं उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

के अधिकारी है तद हेतु यह वाद पत्र नियोजित किया गया है। यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृर्षि भुमियों की खातेदारी राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने गलत रूप से बिना मौके व कब्जे काश्त की जांच किये प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 के पुर्वजो के नाम से दर्ज कर दी गई जो गलत दर्ज की गई है, उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का वादीगण को कानुनी अधिकार प्राप्त है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 के नाम दर्ज हक हिस्सा वादीगण का पैत्रिक हक हिस्सा होने से उक्तानुसार संशोधन किया जाकर वादीगण की खातेदारी भुमि अंकित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। 7 यह कि वादीगण की ओर से अपने नाम से उक्त खातेदारी को राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त करवाने बाबत आग्रह किया परन्तु प्रतिवादीगण समय समय पर आश्वासन देते परन्तु सक्षम रेवन्यु एजेन्सी के समक्ष उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष मे पैरा सख्या 1 में वर्णित भुमियो की खातेदारी वादीगण के पक्ष में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही करवाई गई जिसके चलते वादीगण द्वारा पूर्व में प्रतिवादीगण के आश्वासन के मध्यनजर रखते हुए आपस सौदार्य व कोर्ट कचहरी वादी की बहुलता से बचने के लिये न्यायालय में रिकोर्ड दुरूस्ती का वाद पेश किये जाने में विलम्ब हुआ है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादीगण की भुमियों में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से दर्ज हो जाने की प्रविष्टि से वादीगण के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 के नाम दर्ज उक्त भुमियों वादीगण का उसके पुर्वजों के समय से कब्जे व अधिकार में निरन्तर व निर्बाध रूप से कदीमी से अर्से दराज से बजमाना जागिरदारी से चली आ रही है जिसका वादीगण निरन्तर उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के कर रहे है ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 की खातेदारी हक हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना अतिआवश्क व न्यायोचित है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भुमि पर वादीगण उसके पुर्वज पिछले 60 65 वर्षों से भी अधिक समय से शान्तिपुर्वक निरन्तर व निर्बाध रूप से प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज हक हिस्से पर काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग कर रहे है। किन्ही कारणों से वादग्रस्त भुमियों में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम के इन्द्राजात को सही भी मान लिया जावें तो भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के कथित हक अधिकार कालान्तरित से वादग्रस्त भुमियों के कब्जे से वंचित हो जाने से उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भुमियो पर वादीगण शान्ति पुर्वक तरिके से निर्बाधा रूप से काबिज काश्तकार चले आ रहे है जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को उसके पुर्वजों के समय से ही रही है। लेकिन अब जमीनों के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से प्रतिवादीगण के मन में बैंईमानी आ गई जो उक्त भुमियो को अपने नाम खातेदारी दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

होने की आड में अन्यत्र बैचान करने की कुचेष्ठा में है। जिसके लिये प्रतिवादीगण आज से करीब 5 रोज पुर्व किन्ही भू–माफिया लोगों को अपने साथ लेकर आये व वादीगण की भुमियो को मौके पर दिखाने लग गये जिससे वादीगण को आशका है कि प्रतिवादीगण उक्त भुमियो को अपने नाम खातेदारी दर्ज होने की आड में किसी भुमाफिया लोगों को वैचान, अन्तरण कर वादीगण को मौके से बेदखल करने की कुचेष्ठा कर सकते है इसलिये वादीगण को वाद लाया जाना आवश्यक हुआ है। यह है कि प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 07 वाद पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित भुमि की खातेदारी अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को उसके पैत्रिक हक हिस्सा से वंचित करने पर आमादा है व प्रतिवादीगण वादीगण को उसके पैत्रिक हक हिस्से से वंचित कर वाद पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित कृर्षि भुमि को औने पौने दामों में में भुमाफिया लोगों को अन्तरित व प्रभारित करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानुनी अधिकार नहीं है, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 को विवादित भुमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या 1 में से वादीगण अपने पैत्रिक हक हिस्से में से वादीगण को बेदखल कर बलपुर्वक कब्जा करने वादीगण के अपने हिस्से में काश्त करने एवं उपयोग उपभोग में दखल देने तथा विवादित भुमि को अन्यंत्र व प्रभारित करने, विवादित भुमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अतिआवश्क एवं न्यायसंगत है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 अगर अपने कपटपुर्ण ईरादे में कामयाब हो गये व उक्त भुमियों की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज नहीं हुई तो वादीगण की एक मात्र पैत्रिक सम्पति वादग्रस्त कृर्षि भुमि वादी के अधिकार से छीन जायेगी वादीगण एवं उसका परिवार घर से बेघर हो जायेगा वादीगण को भारी असुविधा एवं अपुर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी कानुन में किसी प्रकार से सभव नहीं है, वादीगण के बहुमुल्य सम्पतिक अधिकारो का हनन होगा तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 को वादीगण के पैत्रिक हक व हिस्से की भुमि में कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने वादीगण को बेदखल कर बलपुर्वक कब्जा करने तथा विवादित भुमि को अन्यंत्र अंतरण व प्रभारित करने व किसी भी प्रकार का हस्तानान्तरण प्रलेख तस्दीक करने करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने व करवाने से पाबन्द करवाया जाना सादर प्रार्थनीय हैं। यह कि वाद कारण अर्सा करीब 5 रोज पुर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा उक्त भुमियो को किन्ही भुमाफिया लोगों को दिखाने व मौके पर बैचान करने की बातचीत करने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अपना पुर्वजो के समय से कब्जा होने व अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गये तथा भुमाफिया लोगो को बैचान कर मौके पर लाठीयो के बल पर उनका कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

करवाने की धमकी देने से वाद कारण पैदा हुआ तब से वाद कारण क्षण प्रतिक्षण रुप से निरन्तर रुप से चालु हैं।

अन्त में निवेदन किया कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित पैत्रिक पैत्रिक कृषि भुमियाँ जिसके पुराने खसरा नम्बर 1593, 1594, 1597, 1599, 1603, 1606, 1607, 1608, 1612, 1613, 1614, 1615 जिसके वर्तमान नये खसरा नम्बर 3200 रकबा 0 3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 3211 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 3212 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 3213 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5300 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3187 रकबा 00800 हैक्टर, खसरा नम्बर 3188 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3193 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3197 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 3201 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल कित्ता 05 कुल रकबा 0. 5300 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3216 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3217 रकबा 10400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9900 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3169 रकबा 1.5400 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.5400 हैक्टर ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा– ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में प्रतिवादी सख्या 1 ता 07 के नाम दर्ज खातेदारी में हक हिस्सा वादीगण का पैत्रिक होने, बजमाना जागिरदारी काल से लेकर आज तक लगातार वादीगण व उसके पुर्वजो का ही कब्जा काश्त होने व वर्तमान में निरन्तर निर्बाध रुप से वादीगण काबिज काश्तकार होने से उक्त भुमियो से प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 07 के नाम दर्ज हक हिस्से की भुमियों का वादीगण सख्या 1 ता 4 का सयुक्त रुप से हिस्सा 1/4, वादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4, वादी सख्या 6 का हिस्स 1/4, वादी संख्या 7 ता 9 का सयुक्त रुप से हिस्सा 1/4 हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर इस आश्य की उद्घोषणा जारी की जावें तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावें। यह कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भुमि में से वादीगण के हक हिस्से की कब्जे काश्त शुदा भुमि के उपयोग उपभोग मे हस्तक्षेप करने वादीगण को बेदखल कर स्वय कब्जा करने, सींव–नीव खुर्द–बुर्द करने, अपने हिस्से से अधिक भुमि पर कब्जा करने, वादीगण व उसके परिजनो के कृषि कार्य में अन्य किसी प्रकार से बाधा डालने, राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में परिर्वतन करने से, विवादित भुमि में वादी के उपभोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा डालने आदि से बाज रहे। तथा प्रतिवादीगण सख्या 08 व 10 को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

प्रतिवादी सख्या 09 को किसी भी प्रकार का अन्तरण प्रलेख तस्दीक करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबधित किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 23.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने दस्तावेजात एवं साक्ष्यवादी में गवाह जगदीश प्रसाद पुत्र मनसाराम जाट व गोमाराम पुत्र किशनाराम जाट के बयान करवाये। वकील वादी ने अपने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करवाते हुए अपने वाद पत्र की ताईद की।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली व दस्तावेजात एवं बयानात का अवलोकन किया गया । अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि गिरदावरी संवत 2012 से 2033 तक गिरदावरी रिकॉर्ड में काश्तकार के कॉलम में वादीगण के पूर्वज का नाम अंकित चला आ रहा है एवं काबिज काश्त रहे है एवं तहसीलदार विराटनगर के आदेश दिनांक 24.02.1982 के अनुसार ग्राम शाहपुरा के आराजी खसरा नंबर 1620, 1622, 1623, 1625, 1597 से 1599, 1606 से 1608, 1612 से 1615, 1593 से 1595, 1600 से 1603, 1540, 1591 में वादीगण के पूर्वज को बतौर शिकमी काश्तकार संवत 2038 में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, जिससे वादीगण का वाद साबित होने से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

<u>आदेश</u>

अतः उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन के अनुसार दावा वादी के हक डिक्री किया जाता है एवं आराजी खसरा नंबर 3200 रकबा 0 3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 3211 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 3212 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 3213 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5300 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3187 रकबा 00800 हैक्टर, खसरा नम्बर 3188 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3193 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3197 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 3201 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल कित्ता 05 कुल रकबा 0. 5300 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3216 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3217 रकबा 10400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9900 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3169 रकबा 1.5400 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.5400 हैक्टर ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा- ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण सख्या 1 ता 4 का सयुक्त रुप से हिस्सा 1/4, वादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4, वादी सख्या 6 का हिस्स 1/4, वादी संख्या 7 ता 9 का सयुक्त रुप से हिस्सा 1/4 हक

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/6/2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)